



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना-पत्र संख्या:- 2025 / 55

दर्ज तिथि:-03.01.2025

1. डालूराम पुत्र चेनाराम
जाति जाट निवासी खारड़ी बेरी पटवार हल्का धोलानाडा तहसील नोखड़ा जिला
बाड़मेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग आडेल
2. तहसीलदार गुढामालानी
3. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा सड़ा

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:-श्री मुकेश सियाग
अप्रार्थीगण:- एकतरफा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-131,136
राजस्थान भू-राजस्व अधि.-1956

:-निर्णय:-


निर्णय तिथि:-28.04.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 230/0.0728 है0, 231/23.2183 है0, 247/2/0.0890 है0, 678/247/0.9936 है0 मौजा खारड़ी बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त आराजी के सेढासेढ अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा निर्मित सड़क खसरा संख्या 247/1 एवं 231/1 मौके पर चालू है। असल में उक्त सड़क प्रार्थी के खसरा संख्या 231 में से होकर गुजर रही है। परंतु मौके पर राजस्व कार्मिकों द्वारा उक्त सड़क की तरमीम खसरा संख्या 231 के मध्य से कर दी है। जिससे मौके व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई है। इससे प्रार्थी के कब्जे की खातेदारी भूमि पर नकारात्मक प्रभाव पडता है। असल में उक्त डामर सड़क की आराजी की तरमीम परिशिष्ट-अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थी की




आराजी से होकर गुजरने वाली डामर सड़क की तरमीम परिशिष्ट-अ के आधार पर दुरुस्त कर रिकॉर्ड दुरुस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/एलआर/2025/261 दिनांक 08.04.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान-ए-बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट-अ के आधार पर दुरुस्त कर रिकॉर्ड दुरुस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरुस्त करवाने हेतु परिशिष्ट-अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट-अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:-



5. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट-अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक/एलआर/2025/261 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक/एलआर/2025/261 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:-



डालूराम

पुत्र चैनाराम

राजस्थान
मरूधरा बैंक

6. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक/एलआर/2025/261 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:-

1. कि प्रार्थी की उक्त आराजी में वर्तमान विद्यमान सड़क खसरा संख्या 247/1 एवं 231/1 के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में तरमीम अंकित नहीं की गई है।
2. कि प्रार्थी की आराजी में वास्तविक कब्जा काश्त एवं विद्यमान सड़क अनुसार तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है।
3. कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 231, 247/2, 678/247 व गै0मु0 सड़क खसरा संख्या 247/1, 231/1 की निम्नानुसार तरमीम दुरुस्ती किया जाना उचित है:-

नाम खातेदार	खसरा संख्या	संशोधित रकबा	किस्म
डालूराम पुत्र चैनाराम	231	22.3030	बा0सो0
जाति जाट सा0 देह	247/2	1.9979	बा0सो0
खातेदार	678/247		
सार्वजनिक निर्माण	231/1	0.4854	गै0मु0 सड़क
विभाग	247/1	0.6229	गै0मु0 सड़क
समर्पण भूमि	231/2	0.3236	बा0सो0

7. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक/एलआर/2025/261 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 231 से होकर डामर सड़क वर्तमान में अवस्थित है। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व वर्तमान में चलायमान डामर सड़क एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु मौके पर चलायमान डामर सड़क के मुताबिक तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक/एलआर/2025/261 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु वर्तमान मौके पर चलायमान सड़क के अनुसार तरमीम दुरुस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा।

8. इस संबंध में राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 08 के अनुसार इस प्रकार के मामले में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये गये हैं। जिससे प्रासांगिक प्रावधान का विवरण इस प्रकार है:-

जहां रास्ता खातेदार कृषक के खेत/खातेदारी भूमि से निकलता है एवं कृषक द्वारा निरंतर उपयोग किया जा रहा है। परंतु उसकी तरमीम राजस्व नक्शे में भिन्न मौके पर अन्य जगह है तो ऐसी स्थिति में मौके व राजस्व अभिलेख की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में शिविर प्रभारी गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय कर राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती कर तरमीम कर सकेगा।

9. इस प्रकार प्रार्थी के खातेदारी खसरा संख्या 231 के मध्य से होकर गै0मु0 सड़क खसरा संख्या 231/1 एवं 247/1 मौके पर चालू है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 सड़क खसरा संख्या 231/1 एवं 247/1 प्रार्थी के खातेदारी खसरा संख्या 247/2 एवं 678/247 के मध्य से होकर चालू है। इससे प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट होता है। अतः राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र

दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 08 के अनुसार मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक/एलआर/2025/261 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 08 के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/एलआर/2025/261 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी की खातेदारी के स्थान पर गै0मु0 सड़क खसरा संख्या 231/1 एवं 247/1 की हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित तरमीम को कलमजन करते हुए उक्त मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार मौके पर चलित स्थान पर तरमीम करने तथा गै0मु0 सड़क खसरा संख्या 231/1 एवं 247/1 की हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित तरमीम के स्थान पर प्रार्थी की खातेदारी अंकित कर तरमीम दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 28.04.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर